म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक बी–4/2/यो/71/34 भोपाल 24/8/2006

–:: आदेश ::–

कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी/6/1–3/उप/संशो/पार्ट–36/251 दिनांक 31.05.2004 के द्वारा उपविधि कण्डिका 38 के अधीन "कृषि विपणन पुरस्कार योजना" दिनांक 01.07.2004 से प्रभावशील की गई है। उपविधि की कण्डिका 38 के बिन्दु क्रमांक–3 में "योजना की पुरूस्कार राशि" तथा कण्डिका क्रमांक–4 में "योजना का ड्रा" उल्लेखित है। मण्डी बोर्ड के संचालक मण्डल की 102वीं बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार कृषि विपणन पुरस्कार योजना के ड्रा जो कि वर्ष में दो बार अर्थात् 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) एवं 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को निकाले जाते थे, अब इसके साथ–साथ बलराम जयंती पर भी निकाले जावेंगे।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में कृषकों के हितो तथा योजना के मूल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उपविधि कण्डिका–38 की बिन्दु क्रमांक– 3 एवं 4 में संशोधन किये जाये।

अतः म0प्र0 राज्य कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन प्रदेश की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों से यह अपेक्षा करते हुए निर्देश दिये जाते है कि नियमानुसार प्रस्ताव पारित कर मण्डी समितियों के लिए उपविधि सन् 2000 की उपविधि कण्डिका–38 के बिन्दु क्रमांक 3 "योजना की पुरस्कार राशि" तथा बिन्दु क्रमांक–4 "योजना का ड्रा" के प्रावधानों को अधिष्ठित कर निम्नानुसार स्थापित करते हुए दिनांक 30 सितम्बर 2006 तक मण्डी समिति की उपविधि को संशोधित करें :–

" कण्डिका क्रमांक–3 योजना की पुरस्कार राशि :–

योजना की प्रति ड्रा पुरस्कार राशि कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रवर्ग (श्रेणी) अनुसार उनके सामने दर्शाई गई संख्या अनुसार निम्नानुसार होगी :–

क्र.	मण्डी का प्रवर्ग	पुरस्कार अधिकतम कुल राशि (रू. में)
1.	क–प्रवर्ग की मण्डी समिति	1,04,000.00
2.	ख–प्रवर्ग की मण्डी समिति	59,500.00
3.	ग–प्रवर्ग की मण्डी समिति	39,000.00
4.	घ–प्रवर्ग की मण्डी समिति	21,000.00

मण्डी समिति का प्रवर्ग	प्रथम पुरस्कार संख्या	प्रत्येक पुरस्कार की राशि निर्धारित	द्वितीय पुरस्कार संख्या	प्रत्येक पुरस्कार की राशि निर्धारित	तृतीय पुरस्कार संख्या	प्रत्येक पुरस्कार की राशि निर्धारित	चतुर्थ पुरस्कार संख्या	प्रत्येक पुरस्कार की राशि निर्धारित
क	01	21,000	02	15,000	03	11,000	04	5,000
ख	01	15,000	02	8,000	03	5,500	04	3,000
ग	01	10,000	02	6,000	03	3,000	04	2,000
घ	01	5,000	02	3,000	03	2,000	04	1,000

कण्डिका कमांक–4 योजना का ड्रा :–

कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा कृषि विपणन पुरस्कार योजना का ड्रा लाटरी द्वारा प्रत्येक वर्ष में तीन बार यथा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) , 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) एवं बलराम जयंती (शासन द्वारा घोषित दिनांक) पर निकाले जावेंगे। ड्रा निकालने हेतु कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा 01 जनवरी से 30 अप्रेल तक जारी भुगतान पत्रकों का ड्रा 15 अगस्त को व 01 मइ से 15 अगस्त तक जारी भुगतान पत्रकों का ड्रा बलराम जयंती को तथा 16 अगस्त से 31 दिसम्बर तक जारी भुगतान पत्रकों का ड्रा 26 जनवरी को निकाला जावेगा। योजना का ड्रा कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा मण्डी क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर कृषकों, व्यापारियों, मण्डी क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में खोला जावेगा। योजना तथा लाटरी ड्रा निकाले जाने वाली तिथि का व्यापक प्रचार प्रसार मण्डी समिति द्वारा किया जावेगा जिसकी सूचना मण्डी समिति, नगर पालिका, पंचायत, जनपद पंचायत तथा कलेक्टर कार्यालय के सूचना पटल पर सूचनार्थ चस्पा कराई जावेगी । यथा संभव ड्रा की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। ''

विनिर्दिष्ट–कालावधि में मण्डी समिति द्वारा उपरोक्तानुसार उपविधि संशोधन न करने की स्थिति में अधिनियम की धारा 81 (2) के अधीन उपरोक्त उपविधि संशोधन अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार मण्डी समिति द्वारा संशोधित किया गया समझा जावेगा और तदोपरी ऐसा संशोधन दिनांक 01 अक्टूबर 2006 से मण्डी समिति पर आबध्दकर होगा।

(एम0ए0 खान)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक बी–4/2/यो/71/ 35 भोपाल 24/ 8/2006

प्रति,

1. विशेष सहायक, माननीय अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. अपर संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. मुख्यलेखाधिकारी/संयुक्त संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल..।
4. उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल...................................।
5. उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। यह सुनिश्चित करें कि उपविधि में उपरोक्त संशोधन प्रत्येक मण्डी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि में स्थापित कर नियत आवधि में मण्डी क्षेत्र में प्रभावशील किया जावे। उपरोक्त उपविधि संशोधन आदेश के पालन में कियान्वयन की प्रगति से मण्डी बोर्ड, मुख्यालय की आगामी मासिक बैठक में स्थिति से अवगत कराये।
6. अध्यक्ष/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति.................................... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

24/8

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल